राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या : 1264, 1265, 1266, 1267 व 1268/2016..... जिला : जोधपुर

मैसर्स रिलायन्स मीडिया वर्क्स लि.,जयपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरावंचन,जोन–तृतीय,जयपुर व अपीलीय प्राधिकारी–प्रथम, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	खण्डपीठ **श्री ओ.पी.सैनी,अध्यक्ष** **श्री सुनील शर्मा, सदस्य**	
24.06.16	अपीलार्थी की ओर से श्री पंकज घीया, अभिभाषक एवं विभाग की ओर से उप राजकीय अभिभाषक श्री रामकरण सिंह उपस्थित।	

अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से उपरोक्त पांचो अपीलें मय स्थगन प्रार्थना पत्र के अपीलीय प्राधिकारी,प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी द्वारा कहा जायेगा)के द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.06.2016, जो कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 38(4) के अन्तर्गत पृथक–पृथक पारित किये गये हैं, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जिनमें वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन,जोन–तृतीय, जयपुर (जिसे आगे 'निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा अधिनियम की धारा 25, 26, 55 एवं धारा 61 के अन्तर्गत वर्ष 2010–11, 2011–12, 2012–13, 2013–14 एवं 2014–15 के लिए पारित पृथक–पृथक कर निर्धारण आदेश दिनांक 22.03.2016 को पारित करते हुए निम्न तालिका के अनुसार कर, ब्याज एवं शास्तियों का आरोपण किया है, जिनके विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर, उन्होंने अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत शास्ति राशियों की वसूली को स्थगित करते हुए कर एवं ब्याज की राशियों पर रोक लगाने से इंकार करने के आदेश को चुनौती देते हुए उक्त निम्न तालिका के अनुसार आवेदित राशि को स्थगित किये जाने का निवेदन किया है:–

अ.सं.	कर	ब्याज	शास्ति	स्थगन हेतु आवेदित राशि
1	2	3	4	6
1264/16	1,92,530/–	1,23,219/–	3,85,060/–	3,15,749/–
1265/16	6,26,446/–	3,25,752/–	12,52,892/–	9,52,190/–
1266/16	7,28,867/–	2,91,547/–	14,57,734/–	10,20,414/–
1267/16	9,43,672/–	2,64,328/–	18,87,344/–	12,07,900/–
1268/16	8,05,884/–	1,28,941/	16,11,768/–	9,34,825/–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलाथी द्वारा विभिन्न स्थानों यथा सिनेमा हॉल इत्यादि में केन्टीन का संचालन किया जाता है। केन्टीन में खाद्य एवं पेय पदार्थ तैयार कर बिक्री किये जाते हैं। समस्त उत्पाद व्यवसाय स्थल पर बनाकर बिक्री किये जाते है। अपीलार्थी द्वारा आलोच्य अवधियों में खाद्य पदार्थ जैसे पोपकोन, क्रीमरोल,

सैण्डविच, फ्रेचफाईजीज एवं बर्गर इत्यादि की बिक्री की जाकर पेय पदार्थ पर 15 प्रतिशत से कर एवं शेष वस्तुओं पर 5 प्रतिशत की दर से कर वसूल किया किया जाकर राजकोष में जमा कराया गया है, जबकि कर निर्धारण अधिकारी ने पोपकोन, क्रीमरोल, सैण्डविच, फ्रेचफाईजीज एवं बर्गर इत्यादि के विक्रय पर अधिनियम की अनुसूची पंचम के तहत मानकर उस पर 14/14.5 प्रतिशत की दर से कर योग्य मानते हुए अन्तर कर, ब्याज एवं शास्तियॉ उपरोक्त तालिका के अनुसार आरोपित की हैं। उक्त प्रकार से आरोपित कर,ब्याज एवं शास्तियों के सम्बन्ध में अपीलीय अधिकारी के समक्ष स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर, उन्होंने शास्तियों की वसूली पर स्थगन प्रदान करते हुए शेष कर एवं ब्याज उपरोक्त तालिका के कॉलम संख्या 6 में अंकित राशियों पर स्थगन प्रदान करने के कारण उन्हें स्थगित करने हेतु अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए तालिका के कॉलम संख्या 6 में अंकित राशियों को अपील निर्णय तक स्थगित किये जाने का निवेदन किया है।

स्थगन प्रार्थना पत्रों के समर्थन में विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा आलोच्य अवधियों में खाद्य पदार्थ जैसे पोपकोन, क्रीमरोल, सैण्डविच, फ्रेचफाईजीज एवं बर्गर इत्यादि की बिक्री की जाकर पेय पदार्थ पर 15 प्रतिशत से कर एवं शेष वस्तुओं पर 5 प्रतिशत की दर से कर वसूल किया गया है। उनका कथन है कि व्यवहारी का व्यवसाय स्थल थ्री स्टार से कम है, ऐसी स्थिति में राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 09.03.2010 के अनुसरण में उसके द्वारा बिक्रीत खाद्य पदार्थ पर 5 प्रतिशत की कर देयता बनती है जबकि कर निर्धारण अधिकारी ने बिक्रीत वस्तुओं को पकाये गये खाद्य पदार्थ से भिन्न फास्ट फूड की श्रेणी में मानकर उसे 14 प्रतिशत की दर से कर योग्य मानते हुए अन्तर कर 9 प्रतिशत की दर से तथा उसे अदेय मानकर उस पर एवं अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत शास्तियॉ आरोपित की है,जो विधिक दृष्टि से उचित नहीं है। उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों पर ध्यान दिये बिना ही कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्तियों पर स्थगन प्रदान करते हुए शेष कर एवं ब्याज उपरोक्त तालिका के कॉलाम 6 पर अंकित राशियों को स्थगित नही करने का कोई कारण अपीलाधीन आदेश में अंकित नहीं किया है इसलिए प्रथम दृष्टया सुविधा सन्तुलन व्यवहारी के पक्ष में होने से उन्हें स्थगित करने का निवेदन किया।

राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा आलोच्य अवधियों में खाद्य पदार्थ जैसे पोपकोन, क्रीमरोल, सैण्डविच, फ्रेचफाईजीज एवं बर्गर इत्यादि की बिक्री की जाकर पेय पदार्थ पर 15 प्रतिशत से कर एवं शेष वस्तुओं पर 5 प्रतिशत की दर से कर वसूल किया किया जाकर राजकोष में जमा कराया गया है, जबकि कर निर्धारण अधिकारी ने पोपकोन, क्रीमरोल, सैण्डविच, फ्रेचफाईजीज एवं बर्गर इत्यादि के विक्रय पर अधिनियम की अनुसूची पंचम के तहत मानकर उस पर 14/14.5 प्रतिशत की दर से कर योग्य मानते हुए अन्तर कर, ब्याज एवं शास्तियॉ उपरोक्त तालिका के अनुसार आरोपित की है, जो पूर्णतः उचित है। उनका कथन है कि वैट अनुसूची–पंचम के क्रम संख्या 16 पर 14/14.5 प्रतिशत की कर दरे से कर योग्य वस्तुओं का इन्द्राज है, जिसके अनुसार अपीलार्थी द्वारा बिक्री वस्तुयें का वर्णत है।उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने का निवेदन किया।

अपीलार्थी व्यवहारी के स्थगन पत्रों पर उभय पक्षीय बहस सुनी गई। हस्तगत प्रकरणों में अपीलार्थी द्वारा आलोच्य अवधियों में खाद्य पदार्थ जैसे पोपकोन, क्रीमरोल, सैण्डविच, फ्रेचफाईजीज एवं बर्गर इत्यादि की बिक्री की जाकर पेय पदार्थ पर 15 प्रतिशत से कर एवं शेष वस्तुओं पर 5 प्रतिशत की दर से कर वसूल किया किया जाकर राजकोष में जमा कराया गया है, जबकि कर निर्धारण अधिकारी ने पोपकोन, क्रीमरोल, सैण्डविच, फ्रेचफाईजीज एवं बर्गर इत्यादि के विक्रय पर अधिनियम की अनुसूची पंचम के तहत मानकर उस पर 14/14.5 प्रतिशत की दर से कर योग्य है। प्रकरणों में कर दर प्रश्न निहित है।

व्यवहारी द्वारा बिक्रीत पोपकोन, क्रीमरोल, सैण्डविच, फ्रेचफाईजीज एवं बर्गर इत्यादि वस्तुओं की कर देयता के सम्बन्ध में अधिनियम की विभिन्न अनुसूचियों में अंकित शब्दावली का अध्ययन किया जाना भी समीचीन होगा, जो इस प्रकार है :–

अनुसूची–iv (अधिनियम की धारा–4)– @ 5 प्रतिशत की दर से कर योग्य वस्तुयें–

इन्द्राज क्रम संख्या –202– Cooked food including snacks other than those mentioned in amy other Schedule and prepared hot tea except when sold in hotels eategorized as three star and above and heritage hotels cetegorized as 'Classic' and 'Grand ' by Government of India or hotels or heritage hotels eategorized as equivalent to the categores mentioned above, by a committee coustituted for this purpose by the State Government.

अनुसूची–iv (अधिनियम की धारा–4)– @ 5 प्रतिशत की दर से कर योग्य वस्तुयें–

इन्द्राज क्रम संख्या –154– Unbranded bakery products including cookies, cakes and pastries; unbranded confectionery excluding chocolates."

अनुसूची–iv (अधिनियम की धारा–4)– @14/14.5 प्रतिशत की दर से कर योग्य वस्तुयें–

इन्द्राज क्रम संख्या –16–

(i) Cooked food except as provided in entry No. 202 of Schedule-IV.

(ii) Ice-candy, ice-cake, ice cream, ice-jelly, forzen dessert, kulfi, ice cream cone,

(iii) Chocolates and other food preparations containing cocoa.

(iv) Branded bakery products including all varieties of cookies, pastries, patties, biscuits, cake sold under brand name registered or applied for under the Trade Marks Act, 1999.

(v) Cooded food like pizza, burger, fried chicken, french fries, sandwich, hot dog, noodles, potato chips, bakery items and any other cooked food item served or sold including home delivery thercof, under a brand name by any branded chain outlet of cooked food.

(vi) Beverages including coffee drinks hot and cold, instant coffee, expresso coffee, ice tea, milk shakes, thick shakes, ice-cream shakes, packes flavoured milk, packed fruit drink, packed fruit juice(excluding beverages specitically mentionded in any other Schedule)

(vii) Corn flakes, wheat flakes, kurkure, popcorn and such articles.

(viii) Chips when sold under brond name registered or applied for under Trade Mark Act, 1999.

इस सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Commissioner of Central Excise, Chennal-II V/s M/s Australain Foods India (p) Ltd, Chennal (2013)SC के केस में ब्रान्डेड आउटलेट के सम्बन्ध में प्रतिपादित सिद्धान्त भी उद्धरणीय है :–

"The meaning of a brand name or trade name is enundlated in Explanation IX of the said notification which says:-

Explanation IX- Brand name or trade name shall mean a brand name or trade name, whether registered or not, that is to say a name or mark, such as symbol, monoram, label, signature or invented word or writing which is used in relation to such specified goods for the purpose o indicating, or so as to indicate a connection in the course o trade between such specified goods and some person using such name or mark with or without any indication of the identity o that person."

हस्तगत प्रकरणों के उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी व्यवहारी के स्थगन प्रार्थना पत्रों को, अपीलों के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना, अस्वीकार किये जाते हैं।

(सुनील शर्मा)
सदस्य

(ओ.पी.सैनी)
अध्यक्ष